सं0– 3156/नौ–2(56पे0)/2003

प्रेषक,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

पेयजल अनुभाग– देहरादून: दिनांक 05 जनवरी ,2004

विषय:– वित्तीय वर्ष 2003–04 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार/पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–2302/नौ–2(56पे0)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर,2003 एवं शासनादेश सं0– 2722/नौ–2(56पे0)/2003 , दिनांक 05 नवम्बर,2003 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 मे ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार/पुर्नगठन/एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नवत जनपदवार विवरणानुसार रू0 4,17,92.000/–(रू0 चार करोड सत्रह लाख बयानवे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम015 के अनुसार पुनर्विनियोजन के माध्यम से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में जिलायोजनान्तर्गत आवंटित प्लान परिव्यय के विपरीत अनुमोदित कार्यो पर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि रू0 लाख मे)

कम सं0	जनपद का नाम	परिव्यय लाख रू0 में	पूर्व स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में ।	अवमुक्त की जा रही राशि ।
1	देहरादून	242.22	203.21	39.01
2	पौड़ी	302.00	194.00	108.00
3	चमोली	134.00	112.10	22.10
4	रूद्रप्रयाग	103.50	86.75	16.75
5	टिहरी	250.00	209.00	41.00
6	उत्तरकाशी	155.00	129.50	25.50
7	हरिद्वार	119.00	99.94	19.06
8	नैनीताल	165.00	138.50	26.50
9	ऊधमसिंह नगर	180.00	151.00	29.00
10	अल्मोड़ा	149.00	125.00	24.00
11	पिथौरागढ़	150.00	126.00	24.00
12	बागेश्वर	128.00	107.50	20.50
13	चम्पावत	140.00	117.50	22.50
	योग–	2217.72	1800.00	417.92

2— स्वीकृत धनराशि उत्तरांचल जलसंस्थान के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी । धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके वास्तविक आवश्यकतानुसार तब ही किया जायेगा जब पूर्व स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत तक उपयोग हो जायेगा और पूर्व स्वीकृत एवं अब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2004 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा । स्वीकृत की जा रही धनराशि के 31.03.04 तक उपयोग न करने वाले सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही उत्तरदायित्व माना जायेगा ।

3— स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए जनपद की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो तथा अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत हो। स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त हों । दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापना/पुनर्गठन हेतु वित्त पोषण यदि दैवीय आपदा से हो गया हो तो क्षतिग्रस्त योजनाओं में प्राविधानित धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर किया जायेगा।

4— उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि उक्त धनराशि से प्रथमतया 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना, द्वितीय 50 प्रतिशत या उससे अधिक पूर्ण योजना एवं तृतीय 25 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना पर व्यय की जायेगी एवं कोई भी अधूरी योजना न रहने की स्थिति में नयी योजना मे धनराशि व्यय की जायेगी ।

5— व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एवं विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6 निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष बल दिया जाय और इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा ।

7— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 में अनुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम -31-जिलायोजना -02- ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा

8— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- 2460/वि0अनु0-3/2003 दिनांक-28.01.04 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पि0 के0 महान्ति)
सचिव

संख्या-3156/(1)/नौ-2-04(56पे)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2- मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ पौड़ी/नैनीताल।
3- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
4- महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
5- कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल ।
6- अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान ,देहरादून ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
8- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9- निजी सचिव/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल ।
10- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय कैम्पस, देहरादून ।
12- समस्त अधिशासी अभियन्ता/ मण्डल अधिकारी,उत्तरांचल जल संस्थान,उत्तरांचल

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

-7-

बी० एम०-15 पुनर्विनियोग 2003-04 आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी:- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
प्रशासनिक विभाग:- पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

(रु० हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्‌वार अप्रत्याशिक व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष (उपलब्ध)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
2215-जलपूर्ति तथा सफाई				2215-जल पूर्ति तथा सफाई		
01-जलपूर्ति- आयोजनागत				01 जलपूर्ति आयोजनागत		
102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम		
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				91-जिला योजना		
01-त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित/ ए०आर०डब्लू०एस०पी०)				03-ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता योजनाओं का जीर्णोद्धार		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 350000	69633	-	280367	20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता 41792	221792	308208
योग- 350000	69633	-	280367	41792	221792	308208

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(सुधीर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या2460(बी)/ वित्त अनु०-3/2004
देहरादून दिनांक 28 जनवरी,2004

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पुनर्विनियोग स्वीकृत
ह०-
(एल०एम० पंत)
अपर सचिव वित्त

संख्या (1)/नौ-2(48पे0)/2003 तद्दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल। 2. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
(सुधीर सिंह)
अपर सचिव